(58)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म	
24/9/20	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तला होकर पत्रावली दिनांक 15/10/20 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत
15/10/20	वकुलाय उप० अप्रार्थी जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके अप्रार्थी जवाब हेतु समय और चाहते है। दिया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 29/10/20 को पेश हो SDO Sojat
29/10/20	वकुलाय उप० अप्रार्थी जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके अप्रार्थी अवसर और चाहते है न्याय के हित में अंतिम अवसर दिया जाता है पत्रावली दिनांक 7/1/21 को पेश हो SDO Sojat
7/1/21	वकुलाय उप० अप्रार्थी जवाब पेश करने हेतु समय अप्रार्थी और चाहते है न्याय के हित में अंतिम अवसर और दिया जाता है पत्रावली आयन्दा दिनांक 11/1/21 को पेश हो SDO Sojat
11/1/21	वकुलाय उप० अधिवक्ता मय प्रार्थीगण। व 2 की ओर से जवाब अधिवक्ता अप्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश किया जा. मि० हो। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाब पेश नहीं करना चाहते से जवाब बन्द किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 6 बावजूद तलबी। तामील बार बार आवाजें दिये जाने पर भी अनु. रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 सुनी गई एवं समायत की गई। अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T. Act 1955 एवं O39 R 1 व 2 CPC R/W S 151 CPC विरुद्ध अप्रार्थीगण के स्थगन आदेश का पेश

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

नम्बर हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी की खातेदारी संख्या 1 से 5 की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम पाण्डुका [illegible] खसरा नम्बर 445, 447, 491, 492, 493 कुल कि.न. 5 जिसका कुल रकबा 11.8100 हैक्टर आदि हुई स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/3 अप्रार्थी 1 का 1/3 अप्रार्थी संख्या 2 सोनी, अप्रार्थी संख्या 3 सिया राम, अप्रार्थी संख्या 4 प्रेमचन्द, अप्रार्थी संख्या 5 शर्मिला का संयुक्त 1/3 हक हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थीगण मनमर्जी से संयुक्त कृषि जोत भूमि पर मेड़ एवं धोरा पाली तोड़ कर मनमर्जी से हक हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करना चाहते है। इस भूमि को लेकर विवाद करते रहते है। अप्रार्थीगण मौके पर [illegible] को नहीं मानते हुये जबरन कब्जा करवाने अपने मनमर्जी से कब्जा करने में समर्थ हो जाते है प्रार्थी को भारी हक हानि होगी जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार 3 बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण जारी कर हक दुरुस्ती के कागजात में दखल अन्दाजी एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी/अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर होने से खारिज योग्य है। पद संख्या 2 में वर्णित भूमि का 40 वर्षों पूर्व बंटवारा किया हुआ होने से यह लिखना गलत है कि वादग्रस्त भूमि खातेदारी है। पद संख्या 3 में यह लिखना गलत है कि अप्रार्थी को हैरान परेशान करते है। प्रार्थी स्वयं अप्रार्थी काबिज है तथा प्रार्थी के उनके कार्य में कोई व्यवधान पैदा नहीं कर रहे है। प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति नहीं हो रही है 3 बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थी किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि में की मेड़ एवं [illegible] कब्जा करने हेतु हक दुरुस्ती के कागजात में दखल अन्दाजी करने	

उप खण्ड अधिकारी
(जिला-पाली) राज.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

से रोकने के लिए जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी गण संख्या 1 से 5 को पाबन्द करने का निवेदन किया है। जवाब अदम में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज करने एवं किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश नहीं देने खारिज करवाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अध्ययन कर बहस वकलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मूल वाद विभाजन से सम्बन्धित है जिसमे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 से 5 सह खातेदार है। न्याय निर्णय हेतु दोनों पक्षों के एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी से रोका जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T. एक्ट 1955 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त मौजा ग्राम पाण्डुवा केसा के ख.नं. 445, 447, 491, 492, 493 जिसका कुल रकबा 11.3100 हैक्टेयर प.क. गा.दी. व अन्य भूमि में उभयपक्ष वर्तमान मौके की यथा स्थिति बनाये रखेंगे तथा एक दूसरे के कब्जे काश्त में वाद निर्णय तक दखल अन्दाजी नहीं करेंगे। पत्रावली नियमानुसार हस्ब नम्बर से दर्ज हो। बाद तकमील शामिल मूल पत्रावली के साथ नत्थी हो।

दौलतराम चौधरी
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 11/1/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दौलतराम चौधरी
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली) राज.